Inflow of External Assistance

3769. SHRI VENOD SHARMA:
SHRI SURESH PACHOURI:
SHRI RAJNT RANJAN SAHU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what was the nel inflow of external assistance to the country during January-March, 1992;

(b) what was the net inflow of external assistance in earlier quarters of 1991-92;

(c) what was the foreign exchange ressqrve at the end , of March. 1992; and

(d) what is the breakup of the various constituents of foreign exchange reserves?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) The net inflow of external assistance (net of repayment) during the quarters April— June 1991, July-September 1991, October-December 1991 and January-March 1992 was Rs. 1677 crores, Rs. 1299 crores, Rs. 1936 crores and Rs. 2181 crores respectively.

(c) The foreign exchange reserves at the end of March. 1992 stood at Rs. 23850 crores.

(d) The position of reserves, at a particular time is the net result of various transactions in the external sector. It is therefore not possible to indicate breakup of various constituents of foreign exchange reserves.

कृषि ऋण राहत योजना का कार्यान्वयन

3770. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण राहत योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को अब तक आबंटित की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) बकाया दावों, आबंटित धनराशि और भुगतान किए गए मुआवजे के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) बकाया दावों को कब तक निपटाया जाएगा ;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य राज्यों को आबंटित की गई राशि की तुलना में कम धनराशि आबंटित की गई है ; और

(ङ) आबंटित धनराशि से संबंधित दावों के मुआवजे कितने प्रतिशत हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत उपलब्ध कराई गई राहत की सारी धनराशि का भार वहन करने और सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई राहत का 50% अनुदान के रूप में देने के लिए वचनबद्ध है । सहकारी समितियों संबंधी योजना की बाकी 50% लागत को राज्य सरकारों को वहन करना है । इस प्रकार सहकारी ऋणदात्री संस्थानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए गए अपने हिस्से के 50% शेयर की प्रतिपूर्ति को सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा वास्तव में दिए गए राहत से जोड़ा गया है । राज्यों को किसी प्रकार के आबंटन का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । किसी एक राज्य की तुलना में किसी दूसरे राज्य को कम धनराशि जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारी समितियों द्वारा दी गई राहत की राज्यवार राशि और अब तक योजना के कार्यान्वियन के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा, उत्तर प्रदेश सहित राज्यों को जारी 50% की राहत राशि को क्रमश: संलग्न विवरण-I और 2 में दर्शाया गया है । **[नीचे देखिए]** राज्यों को देय बकाया राशि उन्हें दावों का सत्यापन और धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कराई जाएगी ।